

प्रमुख सचिव, धर्मार्थ कार्य, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा दिनांक 28-05-2025 को कैलाश मानसरोवर भवन, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद में किये गये निरीक्षण की निरीक्षण आख्या:-

स्थलीय निरीक्षण के समय उपस्थित अधिकारी/कार्मिक :-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. महाप्रबंधक (विद्युत), राजकीय निर्माण निगम लि०, ओखला।
3. महाप्रबंधक (सिविल), राजकीय निर्माण निगम लि०, नोएडा।
4. परियोजना प्रबंधक (विद्युत), राजकीय निर्माण निगम लि०, नोएडा।
5. परियोजना प्रबंधक (सिविल), राजकीय निर्माण निगम लि०, दिल्ली।
6. श्री संगीत गर्ग, प्रबंधक, निगम मुख्यालय, लखनऊ।
7. श्री बी० एस० मेहता, प्रबंधक वर्क्स, निगम मुख्यालय, लखनऊ।
8. श्री दिनेश कुमार गर्ग, प्रभारी कैलाश मानसरोवर भवन, गाजियाबाद।

[Handwritten signature and date 27/06]

दिनांक 28-05-2025 को कैलाश मानसरोवर भवन के स्थलीय निरीक्षण के समय निर्देशित बिन्दु निम्नवत् हैं:-

1- उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० (विद्युत/सिविल), यूनिट- ओखला/नोएडा/दिल्ली द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्देश :-

- भवन का एसी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तत्काल ठीक करायें।
- लिफ्ट, फायर फाइटिंग सिस्टम ठीक करायें व इनकी AMC/O & M व्यवस्थित करायें।
- लिफ्ट के अन्दर मिरर (Mirrors) लगाये जायें। लिफ्ट के स्विच बोर्ड ठीक करायें जायें।
- बहुत से पंखे खराब हैं, इनकी कैप टूटी हैं। इन सभी की सर्विसिंग करायें, सफाई करायें व उन्हें पेन्ट करायें।
- बहुत सी ट्यूब लाइट्स व लाइट्स खराब हैं। इनको शीघ्र बदलकर ठीक कराया जावे। सभी कमरों में भी चेक कर लें।
- सभी कमरों के गीजर, सेनिटरी फिटिंग, शॉवर, नल, वाश बेसिन, वाटर सप्लाई लाइन को ठीक करायें।
- पेयजल की टंकी की पूर्ण रूप से सफाई करके, क्लोरीनेशन कराकर शुद्ध पेयजल सुनिश्चित किया जाये।
- कैलाश मानसरोवर भवन का ग्लोशाइन बोर्ड नया लगाया जावे।
- जनरेटर सेट जो पीछे स्थित हैं-इन्हें नये सिरों से पेन्ट करके ठीक कराया जावे।
- परिसर में जाले, गंदगी, मलबा, कचरा पड़ा हुआ है, इसका संपूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जावे।
- परिसर में पान, तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान, मद्यपान, आदि प्रतिबंधित होने का सूचना बोर्ड स्थापित किया जावे।
- खराब फर्नीचर को तत्काल रिप्लेस करके UPSTDC को हैण्डओवर किया जावे, इनकी नम्बरिंग करके स्टॉक में दर्ज करें।
- कमरों की अलमारियों में कक्षा नं० एवं अलमारी नं० अंकित करें।

[Handwritten signature]

- जो पत्थर (ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, कोटास्टोन आदि) अथवा टाइल्स टूट गई हैं। उन्हें बदल दिया जावे।
- लॉबी के प्रवेश द्वार पर लगे ग्लेज्ड फ्रेम (काँच के फ्रेम) एवं दोनों दरवाजों तथा रेस्टोरेन्ट के दरवाजों पर सुन्दर आकर्षक, डिजाइनदार फिल्म लगायी जाना ताकि लोग टकरा ना पायें।
- GEEKEN कंपनी से कय किये गये सोफा एवं अन्य फर्नीचर की वारंटी अवधि में अपेक्षित मरम्मत हेतु GEEKEN (आपूर्तिकर्ता फर्म) कंपनी से आवश्यक मरम्मत सुनिश्चित कराना तथा फर्नीचर रिप्लेस कराया जाना, फर्नीचर निर्माता कंपनी से CSR के अन्तर्गत डायनिंग हॉल की सभी टूटी कुर्सियाँ बदलवाना।
- भवन के अंदर के साइनेज/नेमप्लेट को द्विभाषीय (हिन्दी/अंग्रेजी) में लिखना तथा फायर एग्जिट के साइनेज को रेड कलर में प्रदर्शित करना।
- बेसमेन्ट पार्किंग में पिलर्स पर प्रवेश एवं निकास के साइनेज लगाना।
- बेसमेन्ट पार्किंग में आवश्यकतानुसार संपूर्ण परिसर में पेन्टिंग का कार्य।
- भवन की बाउन्ड्री वाल पर लगे गेट एवं ग्रिल की आवश्यकतानुसार पेन्टिंग का कार्य।
- रेस्टोरेन्ट से किचन में प्रवेश एवं निकास हेतु दरवाजे नहीं लगें हैं, दरवाजों को लगाया जाना।
- कक्षों के सम्मुख पैरापेट/रैलिंग में लगे कतिपय आयताकार काँच टूटे हुये हैं, यदि अन्य शीशे टूटे पाये जाये तो उन्हें भी बदलना। सभी दरवाजों, खिड़कियों, रैलिंग की जांच एवं मरम्मत किया जाना।

2- पर्यटन विभाग, उ0प्र0 द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्देश :-

- उत्तर प्रदेश का पर्यटन साहित्य, कॉफी टेबल बुक, सोविनियर आदि प्रदर्शित करने हेतु कैलाश मानसरोवर भवन में उपलब्ध कराना।
- कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को उ0प्र0 पर्यटन के साहित्य/ब्रोशर की किट आदि उपलब्ध कराना।
- प्रत्येक तीर्थयात्री को तुलसी/रुद्राक्ष की माला, पिट्टू बैग, कैप, छतरी, पोंचो, टी-शर्ट, ट्रैक सूट आदि के रूप में सोविनियर/मुमेन्टो दिया जाना।
- प्रत्येक तीर्थयात्री का ट्रैडिशनल वेलकम करना। (तिलक लगाकर अंगवस्त्र उपलब्ध कराना)

3- उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्देश :-

- ग्राउन्ड फ्लोर पर लॉबी, रेस्टोरेन्ट में फ्लाई कैचर लगाना।
- कैलाश मानसरोवर भवन के समस्त कक्ष एवं अन्य आउटलेट की चावियों हेतु सुन्दर/आकर्षक की-रिंग बनवाना।
- प्रत्येक ग्रुप के आगमन पर तीर्थयात्रियों का पारम्परिक स्वागत कराना।
- प्रत्येक ग्रुप को गाजियाबाद से बाहर दिल्ली में कार्य हेतु जानें पर/आवश्यकता पड़ने पर लंच पैकेट की सुविधा उपलब्ध कराना।
- मेन्यू में ताजे फल एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के तथा अन्य राज्यवार व्यंजन को शामिल करने पर विचार।

सूचना	101
सूचना	102
सूचना	103
सूचना	104
सूचना	105
सूचना	106
सूचना	107
सूचना	108
सूचना	109
सूचना	110

- लॉबी में अपटूअर्स-ट्रैवेल डिवीजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के दूर पैकेज बुकिंग, टैक्सी बुकिंग, एअर टिकटिंग आदि की सुविधा उपलब्ध कराना अथवा अन्य किसी प्रतिष्ठित एजेंसी IARCTC आदि के माध्यम से व्यवस्था कराना।
- लॉबी/कोरिडोर एवं वी० वी० आई० पी० कक्ष हेतु उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी से पेंटिंग्स कय कर उपयुक्त स्थान पर लगवाना।
- डेली एक्टिविटी एवं महत्वपूर्ण सूचना, आवश्यक टेलीफोन नम्बर आदि को आकर्षक डिजाइन में बुकलेट फॉर्म में प्रिंट कराकर प्रत्येक कक्ष में उपलब्ध कराना।
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/अन्य बैंक/प्राइवेट मनी एक्सचेंजर द्वारा तीर्थयात्रियों को मनी एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध कराना।

4- आयुष विभाग, उ०प्र० द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्देश :-

- कैलाश मानसरोवर भवन, गाजियाबाद में तीर्थयात्रियों/अतिथियों/अतिविशिष्ट अतिथियों का आवागमन दिनांक 11 जून 2025 से 25 अगस्त 2025 जिसके दृष्टिगत प्रतिदिन योग कराने की व्यवस्था कराना।

5- संस्कृति विभाग, उ०प्र० द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्देश :-

- कैलाश मानसरोवर भवन, गाजियाबाद में तीर्थयात्रियों/अतिथियों/अतिविशिष्ट अतिथियों का आवागमन दिनांक 11 जून 2025 से 25 अगस्त 2025 के दृष्टिगत सायंकाल स्थानीय कलाकारों द्वारा भजन, गायन/भक्ति संगीत का आयोजन।

6- जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्देश :-

- कैलाश मानसरोवर भवन, गाजियाबाद में तीर्थयात्रियों/अतिथियों/अतिविशिष्ट अतिथियों का आवागमन दिनांक 11 जून 2025 से 25 अगस्त 2025 तक रहेगा, जिसके दृष्टिगत समन्वय हेतु वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को नामित करना, उद्यान विभाग से गमले व पौधों द्वारा सजावट, सिविल डिफेंस के वालंटियर्स-स्थानीय गाइडेंस हेतु, चिकित्सा हेतु चिकित्साधिकारियों की ससमय ड्यूटी लगाना।

7- पुलिस कमिशनर, गाजियाबाद द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्देश :-

- कैलाश मानसरोवर भवन, गाजियाबाद में तीर्थयात्रियों/अतिथियों/अतिविशिष्ट अतिथियों का आवागमन दिनांक 11 जून 2025 से 25 अगस्त 2025 तक रहेगा, जिसके दृष्टिगत स्थानीय सुरक्षा, सुगम यातायात (ट्रैफिक) एवं अग्निशमन व्यवस्था ससमय सुनिश्चित कराना।

8- उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्देश :-

- कैलाश मानसरोवर भवन, गाजियाबाद में तीर्थयात्रियों/अतिथियों/अतिविशिष्ट अतिथियों का आवागमन दिनांक 11 जून 2025 से 25 अगस्त 2025 तक रहेगा, जिसके दृष्टिगत प्रांगण के अन्दर सुन्दर/आकर्षक, प्लांट्स की व्यवस्था कराना, भवन के निकटतम चौराहों व मार्गों पर कैलाश मानसरोवर भवन के दिशा सूचक बोर्ड लगाना।

